(

राष्ट्रीय महिला आयोग
15 जनवरी, 2024 को आयोजित आयोग की
234वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1.	सुश्री रेखा शर्मा	-	अध्यक्ष
2.	सुश्री डेलिना खोंदुप	-	सदस्य
3.	सुश्री मीनाक्षी नेगी	-	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थित:

1.	श्री ए. अशोली चलाई	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री राजेश सिंह बिष्ट	-	वेतन एवं लेखा अधिकारी
3.	सुश्री शालिनी रस्तोगी	-	अवर सचिव (स्था.)
4.	सुश्री एम. लीलाबती	-	वरिष्ठ समन्वयक
5.	सुश्री कंचन खट्टर	-	वरिष्ठ समन्वयक
6.	सुश्री नेहा महाजन गुप्ता	-	विशेष समन्वयक
7.	सुश्री देबोलीना बनर्जी	-	समन्वयक
8.	सुश्री अनन्या सिंह	-	समन्वयक
9.	सुश्री सुरुचि पुंज	-	निजी सचिव, अध्यक्ष
10.	श्री अतुल सिन्हा	-	वरिष्ठ सलाहकार
11.	श्री राजेश कपूर	-	वरिष्ठ सलाहकार

प्रारंभ में, सदस्य सचिव ने आयोग की 234वीं बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों, अधिकारियों एवं प्राधिकारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मदों को विचारार्थ लेने से पहले, आयोग ने अपने 2 सदस्यों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। यह निर्णय लिया गया कि वे अपनी यात्राओं की योजना इस तरह बनाए ताकि वे आयोग की बैठकों में भाग लेने में सक्षम हो सकें, क्योंकि सदस्यों को एक महीने पहले तारीखों के बारे में सूचित किया जाता है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि आयोग के सदस्यों द्वारा विदेशी दौरों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और ऐसी यात्राओं पर जाने से पहले सभी सदस्यों को इसका पालन निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी गई।

प्रत्येक मद पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-

1. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/1**
   विषय: दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को आयोजित आयोग की 233वीं बैठक का कार्यवृत्त
   14 दिसंबर 2023 को आयोजित आयोग की 233वीं बैठक के कार्यवृत्त की आयोग द्वारा पुष्टि की गई।

रेखा शर्मा

2. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/2**

विषय: कार्रवाई रिपोर्ट

14 दिसंबर 2023 को आयोजित आयोग की 233वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया। कार्रवाई रिपोर्ट के बिंदु संख्या 12 के संबंध में, चूंकि किसी भी सदस्य ने शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ द्वारा शिकायतों से निपटने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है, सदस्यों को फिर से मानक संचालन प्रक्रिया का अध्ययन करने और अपने सुझाव देने की सलाह दी गई। आयोग की अगली बैठक में इस विषय को उठाया जायेगा।

3. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/3**

विषय: 15 दिसंबर 2023 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

15 दिसंबर 2023 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की आयोग द्वारा पुष्टि की गई।

4. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/4**

विषय: कार्रवाई रिपोर्ट

15 दिसंबर 2023 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि आयोग द्वारा की गई।

यह निर्णय लिया गया कि दिसंबर 2023 के दौरान गुजरात के भुज जिले में रण कच्छ उत्सव 2023-24 में भागीदारी पर रिपोर्ट सभी सदस्यों को प्रसारित की जाएगी।

5. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/5**

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए "संपत्ति कानून के तहत महिलाओं के अधिकार" की समीक्षा

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और सहमति दी:-

1. "विवाह और तलाक" विषय पर कानून समीक्षा परामर्श आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 23 दिसंबर, 2023 को पहला क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने के लिए स्वीकृति आदेश दिनांक 20 दिसंबर, 2023 के तहत पहली किस्त के रूप में रुपये 2,70,375/- (रुपये दो लाख सत्तर हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।

2. उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्र में बचे हुए 4 क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने के लिए कुल अनुमानित बजट रु. 22,00,000/- (रुपये बाईस लाख मात्र) (प्रत्येक परामर्श के लिए @ रुपये 5,50,000/-(रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)) का अनुमोदन।

6. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/6**

विषय: 18 जनवरी, 2023 को गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर राज्यों के सचिवों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य महिला आयोग के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन;

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और 18 जनवरी, 2023 को गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर राज्यों के सचिवों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य महिला आयोग के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए कुल बजट रुपये 5,75,000/- और पहली किस्त के रूप में रुपये 2,87,500/- की राशि जारी करने के लिए अनुमोदन दिया गया।

रेखा शर्मा

7. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/7**

विषय:- राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गुवाहाटी, असम के सहयोग से महिला किसान/दिहाड़ी मजदूरों के प्रवासन के संबंध में क्षेत्रीय संगोष्ठी।

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गुवाहाटी, असम के माध्यम से एक क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए रूपये 9,12,450/- (रूपये नौ लाख बारह हजार चार सौ पचास मात्र) की धनराशि स्वीकृत की और पहली किस्त के रूप में रुपये 4,56,225/- (रुपये चार लाख छप्पन हजार दो सौ पच्चीस केवल) जारी करने के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी दी।

माननीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम की रिपोर्ट देर से प्रस्तुत करने का कारण पूछा क्योंकि इसका आयोजन 3 नवंबर, 2023 को किया गया था। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष ने सभी बाहरी सेमिनारों के कार्यवृत्त के लिए रा.म.आ. के रेपोर्टियर को शामिल करने का निर्देश दिया।

8. **कार्यसूची मद सं.- 234/I/8**

विषय: - भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बैंगलोर द्वारा आयोजित "डू योर वेंचर" कार्यक्रम की भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बोधगया द्वारा प्रभाव आकलन रिपोर्ट

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना" के प्रभाव मूल्यांकन के लिए आईआईएम बोधगया द्वारा साझा की गई अंतिम रिपोर्ट पर रुपये 9,92,700/- (नौ लाख निन्यानबे हजार सात सौ रुपये मात्र) प्लस जीएसटी के बजट के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया।

9. **कार्यसूची मद सं.- 234/II/1**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत शीर्षकवार बजट आवंटन, तीसरी तिमाही के लिए उपलब्ध कुल निधि, तीसरी तिमाही के लिए किया गया व्यय, तीसरी तिमाही (दिसंबर 2023 तक) के लिए उपलब्ध अव्ययित शेष निधि और चौथी तिमाही के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मांग की गई निधि।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत मदवार बजट आवंटन, तीसरी तिमाही के लिए उपलब्ध कुल अनुदान, तीसरी तिमाही के लिए किया गया व्यय, तीसरी तिमाही (दिसंबर, 2023 तक) के लिए उपलब्ध अव्ययित शेष निधि और चौथी तिमाही के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मांगी गई धनराशि पर गौर किया। सदस्यों द्वारा समय पर व्यय सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई।

10. **कार्यसूची मद सं.- 234/II/2**

विषय: मासिक रिपोर्ट - दिसंबर 2023: शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत और जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (दिसंबर 2023) की पुष्टि की।

11. **कार्यसूची मद सं.- 234/II/3**

विषय: "जांच रिपोर्ट- कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र कर घर में लगाई आग, बेटा प्रेमिका के साथ भाग गया।"

समिति ने दौरा रिपोर्ट का संज्ञान लिया।

रेखा शर्मा

यह निर्णय लिया गया कि आयोग की अगली बैठक 23 फरवरी, 2024 को सुबह 11.00 बजे होगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(मीनाक्षी नेगी)
सदस्य सचिव

रेखा शर्मा

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष